न्यूज़ टुडे

देश में कोयला उत्पादन एक वित्तीय वर्ष में एक बिलियन टन के आंकड़े को पार कर गया

चीन के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है, जिसने वार्षिक कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन का आंकड़ा पार कर लिया है।

इस उपलब्धि को हासिल करने का महत्त्व

- **ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना:** कोयला एनर्जी मिक्स में लगभग 55% और बिजली उत्पादन में लगभग 74% का योगदान देता है।
- **अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना:** उत्पादन में वृद्धि से कोयले का **आयात कम** होगा और **विदेशी मुद्रा की बचत** होगी।

भारत ने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि कैसे हासिल की?

- **प्रमुख सुधार:**
  - **कोयला खान (विशेष प्रावधान) (CMSP) अधिनियम, 2015** ने निजी कंपनियों द्वारा कोयला खदानों में कोयले के वाणिज्यिक खनन का मार्ग प्रशस्त किया।
  - **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021** विशेष रूप से कोयले के लिए **कंपोजिट प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस-कम-माइनिंग लीज (PL-cum-ML)** की अनुमति देता है।
- **पहलें**
  - **एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक नीति और योजना, 2024** आरंभ की गई है।
  - कोयला क्षेत्रक के लिए **पी.एम. गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान** शुरू किया गया है।
  - अन्य: मिशन कोकिंग कोल, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (NCI), आदि।
- **FDI नीति:** कोयला खनन में **स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI** की अनुमति दी गई है। इससे वैश्विक विशेषज्ञता और उन्नत प्रौद्योगिकियां हासिल हुई हैं।

भारत में कोयला क्षेत्रक की स्थिति

- **खपत:** भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- **उत्पादन:** भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- **रिजर्व:** भारत में कोयले का 5वां सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक भंडार है।

कोयला क्षेत्रक के समक्ष मौजूदा चुनौतियां/ चिंताएं

- **कोयले के खिलाफ वैश्विक प्रतिरोध:** विकसित देश कोयले के उत्पादन एवं उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर जोर दे रहे हैं।
- **आयात पर निर्भरता:** भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 260 मिलियन टन कोयले का आयात किया था। इसमें गैर-कोकिंग कोयले का प्रभुत्व था (कुल आयात का लगभग 77%)।
- **अन्य मुद्दे:** भूमि अधिग्रहण, ओपन कास्ट माइनिंग के कारण पर्यावरण का क्षरण आदि।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) ने 2024 में लगभग 85 हजार मामलों का निपटारा करके त्वरित न्याय को साकार किया

FTSCs द्वारा मामलों की निपटान दर 96% रही। FTSCs ने **बलात्कार और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में तेजी से कानूनी कार्यवाही** सुनिश्चित की है। इस प्रकार, पीड़ितों के लिए न्याय में उल्लेखनीय तेजी दिखाई है।

- **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012,** बच्चों (लड़के व लड़कियों दोनों) के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने के लिए एक कठोर अधिनियम है।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) के बारे में

- **FTSCs के बारे में:** FTSCs योजना एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन कानून और न्याय मंत्रालय के तहत **न्याय विभाग** करता है।
- **पृष्ठभूमि:** 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश (2019) के बाद पॉक्सो अधिनियम के मामलों के त्वरित निपटारे और **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018** के कार्यान्वयन के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई थी।
- **उद्देश्य:** देश भर में FTSCs की स्थापना में **राज्य सरकारों** का समर्थन करना।
- **लक्ष्य: अनन्य पोक्सो (e-POCSO) न्यायालयों सहित कुल 790 FTSCs** स्थापित किए जाने हैं।
  - प्रत्येक FTSC को **प्रति तिमाही 41-42 मामलों और वार्षिक रूप से कम-से-कम 165 मामलों का निपटान** करना होता है।
  - प्रत्येक न्यायालय में **1 न्यायिक अधिकारी और 7 कर्मचारी सदस्य** होंगे।
- **अवधि:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को **2026 तक** बढ़ा दिया है। इस अवधि के लिए **निर्भया फंड** के तहत कुल वित्तीय परिव्यय **1952.23 करोड़ रुपये** निर्धारित किया गया है।
- **फंडिंग पैटर्न**
  - राज्यों और विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र सरकार **60%** का योगदान देती है, जबकि राज्य/ विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेश सरकार **40%** का योगदान देते हैं।
  - उत्तरी-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र सरकार का योगदान 90% है।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) के अनुसार FTSCs को सशक्त बनाने के उपाय

- **राज्यों एवं हाई कोर्ट्स को मजबूत बनाना:** सूचित कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए पॉक्सो मामलों में अनुभवी न्यायाधीशों की नियुक्ति करना चाहिए।
- **कोर्ट रूम को अपग्रेड करना:** ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए।
- **फोरेंसिक प्रशिक्षण:** साक्ष्य विश्लेषण में सुधार के लिए फोरेंसिक लैब के मामले में कौशल को बेहतर बनाना चाहिए।
- **वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर्स की स्थापना:** पीड़ितों के बयानों को बेहतर तरीके से दर्ज करने के लिए सभी जिलों में ऐसे केंद्र स्थापित करने चाहिए।

FTSCs की आवश्यकता क्यों है?

- **सीमित न्यायिक संसाधन:** बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के मामलों में पीड़ित बच्चे को न्याय मिलने में देरी हो सकती है।
- **अपराधियों में भय पैदा करना:** मामलों का समय पर निपटारा भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकेगा।
- विधायी ढांचे के साथ संरेखित: 'दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और पोक्सो अधिनियम' जांच एवं मुकदमे को पूरा करने के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित करते हैं।

सीबेड वारफेयर आधुनिक जियोटेक संघर्ष का महत्वपूर्ण डोमेन बनकर उभरा है

यह वारफेयर **ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए खतरा है तथा भू-राजनीतिक परिदृश्य** को नया रूप दे सकता है।

सीबेड वारफेयर के बारे में

- इसमें जलमग्न समुद्री अवसंरचना को नुकसान पहुंचाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए **समुद्र नितल (सीबेड) पर या वहां से या उसे लक्षित करके सैन्य अभियान** शामिल हैं।
- इस **वारफेयर में उपयोग किए जाने वाले साधनों** में मानव-रहित अंडरवाटर व्हीकल (UUV), रिमोटली आपरेटेड व्हीकल (ROV), सबमर्सिबल्स आदि शामिल हैं।

इस वारफेयर की बढ़ती अवधारण के लिए उत्तरदायी कारक

- **समुद्र में जलमग्न अवसंरचना पर बढ़ती निर्भरता:** इसमें कम्युनिकेशन केबल्स, एनर्जी पाइपलाइन्स, आदि शामिल हैं।
- **गहरे समुद्र से जुड़ी प्रौद्योगिकी की उन्नति:** इससे **सीबेड वारफेयर का दायरा बढ़ा** है। पहले यह केवल कम्युनिकेशन केबल्स को क्षति पहुंचाने और ग्लोबल कनेक्टिविटी को बाधित करने तक सीमित था, लेकर अब निगरानी, टोही और साइबर वारफेयर जैसे जटिल कार्यों तक बढ़ गया है।
- **महासागरीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती क्षमता: आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)** के अनुसार इसकी क्षमता **2030 तक 3,000 बिलियन डॉलर** तक पहुंच सकती है।
  - इसमें **तेल व गैस अन्वेषण, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के लिए जलमग्न केबल्स** जैसी कई गतिविधियों में भविष्य की अपार संभावनाएं हैं।

सीबेड वारफेयर के दायरे

भौतिक हमले	साइबर ऑपरेशन्स	निगरानी
कम्युनिकेशन केबल्स काटना या पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाना	समुद्र में जलमग्न केबल्स से होने वाले डेटा प्रवाह को मैलवेयर या जासूसी उपकरणों का उपयोग करके निशाना बनाना	खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए सेंसर का उपयोग करना या केबल्स को टैप करना

सीबेड वारफेयर में क्षमता निर्माण की आवश्यकता क्यों है?

- **बढ़ते भू-राजनीतिक हित: फ्रांसीसी नौसेना** ने 2022 में अपने सामरिक **सीबेड वारफेयर सिद्धांत** को जारी किया था। इसमें **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन** जैसे अन्य देश भी समान रूप से रुचि दिखा रहे हैं।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा:** इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री जलमग्न कम्युनिकेशन केबल्स, आवश्यक पाइपलाइन्स, एनर्जी रूट्स (पाइपलाइन इत्यादि) आदि मौजूद हैं।
  - इस क्षेत्र में **चीन के बढ़ते प्रभाव** के कारण इनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
- **बढ़ता तनाव:** हालिया घटनाओं जैसे नॉर्ड स्ट्रीम-1 और नॉर्ड स्ट्रीम-2 गैस पाइपलाइनों में विस्फोट (2022), बाल्टिक सागर में जलमग्न कम्युनिकेशन केबल्स को क्षति पहुंचाने की घटनाएं (2023 व 2024) आदि के रूप में यह स्पष्ट है।
- **समुद्र नितल आधारित निगरानी का निर्माण करना: पनडुब्बियों की गतिविधियों पर नज़र रखने** के लिए आधुनिक नौसैनिक रणनीति का निर्माण करना जरूरी है।

PMAY-U 2.0 के तहत केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (CSMC) की पहली बैठक आयोजित हुई

प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के निम्नलिखित घटकों के अंतर्गत **कुल 3.52 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है-**

- लाभार्थी द्वारा स्वयं घर निर्माण (BLC) और
- साझेदारी में किफायती आवास (AHP) निर्माण।

PMAY-U 2.0 (सभी के लिए आवास मिशन) के बारे में

- **उद्देश्य:** यह योजना पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों/ प्राथमिक ऋण संस्थानों (PLIs) के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान प्रदान करेगा।
  - योजना के तहत **न्यूनतम 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया** वाले घरों के निर्माण का समर्थन किया जाता है। घर में **बुनियादी नागरिक सुविधाओं और सामाजिक बुनियादी ढांचे** का निर्माण भी शामिल है।
- **अवधि:** यह योजना **5 साल** तक चलेगी। इसे 1 सितंबर, 2024 को शुरू किया गया था।
- **योजना का प्रकार:** ब्याज सब्सिडी घटक (ISS) **'केंद्रीय क्षेत्रक की योजना'** है। शेष अन्य घटक **'केंद्र प्रायोजित योजना'** है।
- **कार्यान्वयन:** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय।
- **पात्र लाभार्थी:** देश में किस भी जगह अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए और उसे **निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग का होना चाहिए:**
  - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS);
  - निम्न आय वर्ग (LIG); तथा
  - मध्यम आय वर्ग। (MIG)।
    - विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों आदि को **प्राथमिकता** दी गई।

PMAY-U 2.0 के 4 प्रमुख घटक

लाभार्थी द्वारा स्वयं घर निर्माण (BLC):
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) परिवारों को **अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता** दी जाएगी।

साझेदारी में किफायती आवास (AHP)
EWS वर्ग के लोग **सरकारी या निजी कंपनियों द्वारा बनाई गई अपार्टमेंट परियोजनाओं में आवंटित घर खरीद** सकते हैं।

किफायती किराया आवास (ARH)
- **इसके लिए निम्नलिखित दो तरीके अपनाए जाएंगे:**
  - सरकारी खाली आवासों को किफायती किराया आवास में बदलना, या
  - निजी/ सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किराए के आवासों का निर्माण, संचालन और रखरखाव।

ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)
अधिकतम लोन: 25 लाख रुपये।
अधिकतम घर की कीमत: 35 लाख रुपये।

योजना का महत्त्व

- योजना के तहत अब तक एकल महिलाओं और विधवाओं सहित महिलाओं के लिए **2.67 लाख से अधिक घर स्वीकृत** किए जा चुके हैं।
- **समावेशिता को बढ़ावा देना: अनुसूचित जातियों** के लिए लगभग 80 हजार मकान, **अनुसूचित जनजातियों** के लिए 15 हजार मकान तथा **ट्रांसजेंडर्स** के लिए 90 मकान स्वीकृत किए गए हैं।

वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने श्रम-गहन क्षेत्रकों के लिए PLI योजना उपलब्ध कराने की सिफारिश की

इस समिति ने **रसायन, चमड़ा, परिधान और हस्तशिल्प** जैसे श्रम-गहन क्षेत्रकों के लिए भी उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। यह सिफारिश **भारत के विनिर्माण क्षेत्रक और निर्यात को बढ़ावा देने में PLI योजना की सफलता** को देखते हुए की गई है।

उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के बारे में

- **आरंभ:** यह योजना 2020 में 1.97 ट्रिलियन रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई थी।
  - यह **मेक इन इंडिया पहल** के अनुरूप है। मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत को **वैश्विक विनिर्माण केंद्र** बनाना है।
- **उद्देश्य:** विनिर्माण क्षेत्रक को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा विकास और संधारणीयता के बीच संतुलन स्थापित करना।
- **इसमें कवर किए गए क्षेत्रक:** इसमें मोबाइल विनिर्माण और निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक घटक, एडवांस्ड केमेस्ट्री सेल (ACC) बैटरी, व्हाइट गुड्स जैसे **14 क्षेत्रक** शामिल हैं।
- प्रोत्साहन: पात्र कंपनियों को **वृद्धिशील बिक्री पर 4% से 6% तक का प्रोत्साहन** प्रदान किया जाता है।
  - इसके लिए भारत में पंजीकृत **घरेलू और विदेशी, दोनों तरह की कंपनियां** प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।
- **दृष्टिकोण:** इसमें **प्रदर्शन-आधारित अप्रोच** अपनाया जाता है, जिससे **केवल देश-विदेश के निवेशकों का ध्यान ही नहीं खींचा जाता, बल्कि व्यवसायों को अत्याधुनिक तकनीकें अपनाने और उत्पादन लागत घटाने के लिए भी बढ़ावा** मिलता है।

PLI योजना: मुख्य उपलब्धियां

निवेश प्राप्त:	उत्पादन का मूल्य:	रोजगार सृजन:	निर्यात:
1.46 लाख करोड़ रुपये	12.50 लाख करोड़ रुपये	9.5 लाख (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष)	4 लाख करोड़ रुपये

(अगस्त 2024 तक)

PLI योजना की प्रासंगिकता/ आवश्यकता

- **विनिर्माण को बढ़ावा:** यह 2025 तक GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी को **17% से बढ़ाकर 25%** करने के लक्ष्य के लिए आवश्यक है।
- **रणनीतिक क्षेत्रकों को समर्थन:** उदाहरण के लिए- भारत ने **2024 में दूरसंचार संबंधी उत्पादों में लगभग 60% आयात प्रतिस्थापन** हासिल कर लिया है।
- **अन्य:** इससे **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद** मिलती है आदि।

अन्य सुर्ख़ियां

ओटावा कन्वेंशन

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सदस्य **पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया रूस से सैन्य खतरे के कारण ओटावा कन्वेंशन से अलग होने की योजना** बना रहे हैं।

ओटावा कन्वेंशन के बारे में

- इस **कन्वेंशन का आधिकारिक नाम 'कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज, स्टॉकपिलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी-पर्सनल माइंस एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन'** है।
- **उद्देश्य:** यह पक्षकार देशों को किसी भी परिस्थिति में **एंटी-पर्सनल माइंस का उपयोग, विकास या भंडारण न करने हेतु बाध्य** करता है।
  - इसके अलावा, उन्हें **ऐसी माइंस को नष्ट करने के लिए भी बाध्य** किया गया है।
- इसे ओस्लो (1997) में अपनाया गया था। इसे **1997-1999** तक **ओटावा** में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था और यह **1999** में प्रभावी हुआ था।
- **हस्ताक्षरकर्ता:** 133 देश, **भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं** है।
- **डिपॉसिटरी:** संयुक्त राष्ट्र के महासचिव

प्रूफ ऑफ ओरिजिन

वित्त मंत्रालय ने **कस्टम्स (व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन) संशोधन नियम** अधिसूचित किए। ये नियम **2020 के नियमों में संशोधन** करते हैं।

- ये नियम **सीमा शुल्क अधिनियम, 1962** के अनुसार अधिसूचित किए गए हैं।

नये नियमों के बारे में

- अब **आयातक** को व्यापार समझौते के तहत विशेष दर पर शुल्क के लिए **'प्रूफ ऑफ ओरिजिन'** प्रस्तुत करना होगा, जबकि पहले 'सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन' प्रस्तुत करना होता था।
  - इसका उद्देश्य यह प्रमाणित करना है कि **शिपमेंट में माल पूरी तरह से एक विशेष देश में प्राप्त, उत्पादित, निर्मित या प्रसंस्कृत** किया गया है।
- **इन बदलावों के लाभ**
  - अब भारतीय सीमा शुल्क अधिकारी सर्टिफिकेट की बजाये अतिरिक्त साक्ष्य मांग सकते हैं।
  - इससे विशेष रूप से चीन के उत्पादों के आयात की कड़ी जांच की जा सकेगी, जिन्हें उच्च शुल्क और व्यापार प्रतिबंधों से बचने के लिए आसियान, श्रीलंका, UAE जैसे देशों के माध्यम से भेजा जाता है।

रायसीना डायलॉग 2025

नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण आयोजित किया गया।

रायसीना डायलॉग के बारे में

- इसकी मेजबानी **विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन** (एक स्वतंत्र थिंक टैंक) करता है।
- यह **समकालीन भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र मुद्दों पर भारत के प्रमुख सम्मेलन के रूप में** उभरा है। यह **वैश्विक समुदाय के समक्ष विद्यमान सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित** करने के प्रति प्रतिबद्ध है।
- **भागीदारी:** 10वें संस्करण में लगभग 125 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इनमें मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष व सरकार प्रमुख, शिक्षाविद्, थिंक टैंक, युवा आदि शामिल हैं।
- **थीम (2025): "कालचक्र - पीपल, पीस एंड प्लैनेट"।**
  - इसमें चर्चा **छह प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही**, जैसे ग्रीन ट्राइलेमा, डिजिटल प्लैनेट आदि।

तंबाकू

पिछले चार वर्षों में **भारत का तम्बाकू निर्यात दोगुना** हो गया।

तंबाकू

- **भारत की स्थिति:** भारत **तम्बाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक (चीन के बाद) तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक (ब्राजील के बाद)** देश है।
- **प्रमुख उत्पादक राज्य:** गुजरात (कुल खेती योग्य क्षेत्र का 45% और उत्पादन 30%), आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार।
- **अनुकूल परिस्थितियां:**
  - **तापमान:** 20° से 27°C के बीच होना चाहिए।
  - **वर्षा:** जब इसे वर्षा सिंचित फसल के रूप में उगाया जाता है, तो फसल उगाने के मौसम के दौरान **कम-से-कम 500 मिलीमीटर अच्छी तरह से वितरित वर्षा** की आवश्यकता होती है।
    - जिस क्षेत्र में वर्षा 1200 मिमी. से अधिक होती है, वहां पर आमतौर इसकी खेती नहीं की जाती है।
  - **मृदा:** रेतीली या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इसका एक अपवाद है- **आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र, जहां गहरी काली मृदा में तंबाकू का उत्पादन** किया जाता है। इस क्षेत्र में **सिगरेट में इस्तेमाल होने वाले तंबाकू** का उत्पादन किया जाता है।

सहयोग पोर्टल

केंद्र और राज्य सरकारें **ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए सहयोग पोर्टल के माध्यम से आदेश** जारी कर रही हैं।

सहयोग पोर्टल के बारे में

- **मिशन:** देश में साइबर अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए एक प्रभावी फ्रेमवर्क व संस्थागत व्यवस्था बनाना।
- **मंत्रालय:** गृह मंत्रालय।
- इसे **IT अधिनियम, 2000** के अंतर्गत सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा मध्यवर्तियों को नोटिस भेजने की **प्रक्रिया को स्वचालित** करने के लिए विकसित किया गया है।
- यह किसी गैर-कानूनी एवं दुर्भावनापूर्ण कार्य को करने के लिए उपयोग की जा रही किसी भी सूचना, डेटा या कम्युनिकेशन लिंक को **हटाने या निष्क्रिय करने की सुविधा** प्रदान करता है।
- यह देश की सभी **अधिकृत एजेंसियों और सभी मध्यवर्तियों को एक मंच** पर लाता है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड

मद्रास हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) पर 2025 के लिए **राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क** (NIRF) प्रकाशित करने पर अंतरिम रोक लगा दी।

- NIRF का उद्देश्य संस्थानों की रैंकिंग के लिए एक व्यापक और मानकीकृत फ्रेमवर्क प्रदान करके उच्चतर शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Board of Accreditation: NBA) के बारे में

- इसे **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) अधिनियम, 1987 की धारा 10(U) के तहत 1994 में स्थापित** किया गया था।
- **2010** में NBA को एक **स्वायत्त संस्था** बना दिया गया था।
- **प्रमुख कार्य:** यह **इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन आदि में डिप्लोमा से लेकर पोस्ट-ग्रेजुएट स्तर** तक तकनीकी संस्थानों द्वारा प्रस्तुत प्रोग्राम्स की गुणवत्ता की जांच करता है।
- NBA **संस्थाओं को नहीं बल्कि उनके प्रोग्राम्स को प्रत्यायन** देता है।

अल्टरमैग्नेटिज्म

स्वीडन के शोधकर्ताओं ने 'अल्टरमैग्नेटिज्म' नामक एक नए प्रकार के **चुंबकत्व** की सूचना दी।

अल्टरमैग्नेटिज्म के बारे में

- **अर्थ:** यह **लौहचुम्बक (Ferromagnet) और गैर-लौहचुम्बक दोनों के लाभकारी गुणों** को समेकित करता है। यह गुण इसे पारंपरिक लौहचुम्बक और गैर-लौहचुम्बक दोनों से अलग बनाता है।
  - पारंपरिक चुम्बक जैसे **लोहा, निकल** आदि पुश और पुल फॉर्स (बल) प्रदान करने के लिए संरेखित स्पिन्स पर निर्भर करते हैं। वहीं, **गैर-लौहचुम्बक** इन बलों को काट देते हैं।
- अल्टरमैग्नेट्स में **जीरो नेट मैग्नेटाइजेशन** (गैर-लौहचुम्बक) और **नॉन-रिलेटिविस्टिक स्पिन स्प्लिटिंग** (लौहचुम्बक) ये दोनों गुण होते हैं।
- **उपयोग:**
  - **मेमोरी डिवाइस की परिचालन गति** बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है,
  - **इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों** की दक्षता और प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है।

मुजारा आंदोलन

19 मार्च को मुजारा आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई।

- यह आंदोलन **मुजारा और तत्कालीन प्रशासन के बीच हुए हिंसक टकराव की स्मृति** में हर साल मनाया जाता है।

मुजारा आंदोलन के बारे में

- **शुरुआत:** यह आंदोलन **पटियाला रियासत** में शुरू हुआ था और **1930 के दशक** में इसका तेजी से प्रसार हुआ था।
  - इसकी **उत्पत्ति 1920 के दशक के प्रजामंडल आंदोलन** से संबंधित थीं।
- **पृष्ठभूमि:** विभाजन-पूर्व पंजाब के काश्तकार किसानों (मुजारों) ने **बिस्वेदारी प्रणाली** (भूमि काश्तकारी संबंधी नियम) के तहत जमीदारों से **भूमि के मालिकाना हक** की मांग की थी।
  - मुजारों को **अपनी पैदावार का एक हिस्सा बिस्वेदार** (जमींदार) को देना होता था तथा कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ता था। इस दोहरी कर वसूली की वजह से किसानों का शोषण होता था।
- **उल्लेखनीय नेता:** बूटा सिंह, कृपाल सिंह, आदि।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

मंगोलिया (राजधानी: उलानबाटर)

- भारत और मंगोलिया ने **रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि** की।

मंगोलिया के बारे में

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - यह **उत्तर-मध्य एशिया** में स्थित एक **स्थलरुद्ध देश है।**
  - **स्थल सीमा:** इसके उत्तर में **रूस** और दक्षिण में **चीन** है।
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
  - **स्थलाकृति:** यह मुख्य रूप से एक **पठारी क्षेत्र** है। इसके **80% भाग पर स्टेपी घास के मैदान** हैं। इसके दक्षिण में **गोबी का मरुस्थल** है।
  - **प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं:** अल्ताई, खांगई और खेंटी।
  - **सबसे लंबी नदी:** ओरखोन नदी (ओरखोन घाटी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है)।